29.11.24	उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को वाज० प्रा० पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि उक्त अपील में 1/8/24 तारीख नियत थी। दि० 1/8/24 को वकील प्रार्थी ने सहवन से आ० पेशी 20/9/24 अपनी डायरी में अंकित कर ली। परन्तु गलत फहमी में दि० 1/8/24 को न तो अपी० न ही अपीलांट अधि० कोर्ट में उपस्थित हो सके। अपीलांट दि० 1/8/24 को जानबूझकर गैर हाजिर अदालत नही हुये बल्कि भारी बरसात एवं वृद्ध होने की वजह से अदालत हाजिर नही हो सके। प्रार्थी मुकदमें को पूर्ण तल्लीनता से लड़ रहा है एवं गुण-अवगुण पर निस्तारण कराना चाहते हैं। अतः वाज० प्रा० पत्र को स्वीकार किया जाकर मूल अपील को मेरिट पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि वाज० प्रा० पत्र करीब 20 दिन की देरी से प्रस्तुत किया है। अतः खारिज फरमाया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस उभयपक्ष पर मनन किया। चूंकि मूल अपील का निस्तारण मेरिट पर करना ही उचित है अतः म्याद के बिन्दु पर नरम रुख अपनाते हुये वाज० प्रा० पत्र 200/रु० कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। मूल अपील पुनः नंबर पर ली जाती है। वाज० प्रा० पत्र फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम की जावें। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)